भारत सरकार
शिक्षा मंत्रालय
स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग

राज्य सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या-1154
उत्तर देने की तारीख-29/07/2026

सरकारी विद्यालयों में घटता नामांकन

1154 **श्री एस. निरंजन रेड्डी:**

क्या ***शिक्षा*** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने यूडीआईएसई+ 2025-26 रिपोर्ट के इन निष्कर्षों का संज्ञान लिया है कि सरकारी विद्यालयों में नामांकन वर्ष 2023-24 के 12.8 करोड़ से घटकर वर्ष 2025-26 में 11.9 करोड़ रह गया, अर्थात् लगभग 86 लाख विद्यार्थियों की कमी हुई, जबकि इसी अवधि के दौरान निजी गैर-सहायता प्राप्त विद्यालयों में नामांकन 9 करोड़ से बढ़कर 9.9 करोड़ हो गया;
(ख) क्या सरकार ने सरकारी विद्यालयों में घटते नामांकन के कारणों का पता लगाने के लिए कोई आकलन किया है;
(ग) यदि हाँ, तो तत्संबंधी राज्य-वार ब्यौरा क्या है; और
(घ) सरकारी विद्यालयों में गुणवत्ता, अधिगम परिणामों तथा जन-विश्वास में सुधार लाने के लिए क्या उपाय किए गए हैं अथवा प्रस्तावित हैं?

उत्तर

शिक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री
(श्री जयन्त चौधरी)

(क) से (घ): शिक्षा के लिए एकीकृत जिला सूचना प्रणाली प्लस (यूडाइज़+) के अनुसार, वर्ष 2023-24 से वर्ष 2025-26 तक सरकारी और निजी स्कूलों में नामांकन निम्नानुसार है:

	नामांकन (पूर्व-प्राथमिक से उच्चतर माध्यमिक तक)		
वर्ष	कुल	सरकारी	निजी
2023-24	248045828	127490199	90036939
2024-25	246932680	121589911	95856710
2025-26	247219766	118903585	98863908

शिक्षा संविधान की समवर्ती सूची में है और बहुसंख्य स्कूल संबंधित राज्य और संघ राज्य क्षेत्र की सरकारों के अधिकार क्षेत्र में हैं। स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग स्कूल शिक्षा के लिए एक एकीकृत समग्र शिक्षा योजना का कार्यान्वयन कर रहा है, जिसमें पूर्व-प्राथमिक से कक्षा-12 तक के सभी पहलू शामिल हैं। यह योजना स्कूली शिक्षा को एक निरंतरता के रूप में मानती है और यह सुनिश्चित करने के लिए एनईपी 2020 को सिफारिशों के अनुरूप बनाया गया है कि सभी बच्चों को समान और समावेशी कक्षा वातावरण के साथ गुणवत्तापूर्ण शिक्षा तक पहुंच प्राप्त हो जो उनकी विविध पृष्ठभूमि, बहुभाषी आवश्यकताओं, विभिन्न शैक्षणिक क्षमताओं का ध्यान रखे और उन्हें अधिगम की प्रक्रिया में सक्रिय भागीदार बनाए।

केन्द्र सरकार समग्र शिक्षा की केन्द्र प्रायोजित योजना के माध्यम से राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों की सहायता करती है तथा प्रधानमंत्री पोषण शक्ति निर्माण (पीएम पोषण) योजना के तहत बालवाटिका से कक्षा 8 तक गर्म पका हुआ भोजन प्रदान किया जाता है। सरकारी स्कूलों में ड्रॉप आउट कम करने और नामांकन बढ़ाने हेतु विभिन्न कार्यकलापों के लिए राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों को वित्तीय सहायता/अनुदान भी प्रदान किया जाता है, जिसमें वरिष्ठ माध्यमिक स्तर तक नए स्कूल खोलना/उनका सुदृढ़ीकरण करना, स्कूल अवसंरचना को सुदृढ़ करना, कक्षा 12 तक कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालयों (केजीबीवी) की स्थापना और उनका उन्नयन एवं संचालन, नेताजी सुभाष चन्द्र बोस आवासीय विद्यालय नामक आवासीय स्कूलों/छात्रावासों की स्थापना करना, प्रधानमंत्री जनजातीय आदिवासी न्याय महाअभियान (पीएम-जनमन) और धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान (डीएजेजीयूए) के तहत छात्रावास, परिवहन भत्ता, नामांकन अभियान चलाना, सामयिक छात्रावास/आवासीय शिविर, स्कूलों में कौशल शिक्षा और आईसीटी सुविधाओं का प्रावधान, निःशुल्क पाठ्यपुस्तकें और निःशुल्क यूनिफॉर्म, परिवहन/एस्कॉर्ट सुविधा आदि प्रदान करना शामिल है।

******